(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

<u>अधिसूचना सं0 11/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 2015

विषयः– विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में विशेष अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में एक नए पैरा 4.49क को शामिल करना।

सा0 आ0 (अ0) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 में एक नए पैराग्राफ 4.49क को शामिल करती है:

4.49क विशेष अधिसूचित क्षेत्र

समय–समय पर यथासंशोधित आरबीआई की 01 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना 116, द्वारा यथा अधिसूचित कंपनियों द्वारा अपरिष्कृत हीरों का आयात, नीलामी और पुनः निर्यात सीमा–शुल्क विभाग के पर्यवेक्षण के तहत एसएनजैड के आपरेटर द्वारा प्रशासित विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजैड) में खेप अथवा प्रत्यक्ष आधार पर अनुमत किया जाएगा। अपरिष्कृत हीरों (न बिके हुए) के आयात, नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात की प्रक्रिया सीबीईसी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।

<u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>: विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजैड) में अपरिष्कृत हीरों के आयात, नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात का प्रावधान अधिसूचित किया जाता है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/94/180/367/एएम13/पीसी–4 से जारी)